भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी 27 JUN 2023 अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FX 543617

(प्रारूप–"अ")

हम अवनीश कुमार पुत्र स्व0 नर्व देश्वर उपाध्याय एव सदन कुमार मीश्रा पुत्र स्व0 मंगल नाथ मीश्रा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मंगला नर्वदेश्वर जन सेवा ट्रस्ट ओदरपुर महमदपुर पोस्ट-शिवपाल अम्बेडकरनगर शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है–

1– यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा MNM Rakesh Pharmacy College नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2–यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ओदरपुर महमदपुर पोस्ट– शिवपाल अम्बेडकरनगर में गाटा संख्या 108,221,224,257,303,308क,309,311 एव रकबा कमशः 17020 वर्ग मीटर एव 1.702 हेक्टेयर (कुल रकबा 17020 वर्ग मीटर, 1.702 हेक्टेयर भूमि है।

3–यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4–यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 108, 221, 224, 9600 वर्ग मीटर रकबा कमशः 9600 वर्ग मीटर एव 0.9600 हेक्टेयर(कुल रकबा 0.9600 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01–07–2021 द्वारा पारित किया गया है।

सचिव
MNM-राकेश फार्मेसी कालेज
अम्बेडकर नगर

प्रबन्धक
MNM-राकेश फार्मेसी कालेज
अम्बेडकर नगर

९२५
30/8/23 प्रबन्धक अवनीश कुमार एस.एन.राम राकेश फार्मेसी कालेज महाकपुर अकबरपुर
आम्बेडकर नगर

30/8/23
वीरेन्द्र कु०,
राज्य निरीक्षक [illegible]
[illegible]

5—यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6—यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एव उस पर निर्मित एव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7——यह कि, इस भूमि एव इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमो के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8——यह कि, इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्द्ध पाठयकम एव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठयकम मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9—यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनउ से सम्बद्व संस्था एव पाठयकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्व कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है, न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा।

10— यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एव कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11— यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एव अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12— यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान मे किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एव सम्बद्वता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एव मूझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13— मै घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी मे पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एचं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्व परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होउँगा।

सचिव
MNM-राकेश फार्मेसी कालेज
अम्बेडकर नगर

प्रबन्धक
MNM-राकेश फार्मेसी कालेज
अम्बेडकर नगर